

**न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-452 / 2016

संस्थित दिनांक-24.05.2016

फाईलिंग नं.-300431 / 2016

सी.एन.आर.नं.-एम.पी-50004322016

रजिस्ट्रेशन नं.-300404 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-यशवंतदास पिता हीरादास मानिकपुरी, उम्र-26 साल,
निवासी-ग्राम चौरा भौरमदेव, थाना राजनंदगांव,
जिला कबीरधाम कर्वधा (छ.ग.)

2-सुखलाल सिंह पिता जयसिंह, उम्र-48 साल, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम चौरा भौरमदेव, थाना राजनंदगांव,
जिला कबीरधाम कर्वधा (छ.ग.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-04 / 07 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी यशवंतदास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(7 काउन्टस) एवं धारा-3 / 181 मो.व्ही.एक्ट के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-21.04.2016 को 2.00 बजे ग्राम पिपरटोला नहर अन्तर्गत थाना बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-09-0121 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहतगण रामबाई, उषा धुर्वे, अनुसुईयाबाई, सुनीता, पार्वती, सुखलाल, रामबती को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाया एवं आरोपी सुखलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस धारी व्यक्ति से स्वयं के नाम पर पंजीकृत वाहन चलाने दिया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता रामबती बाई ने दिनांक-23.04.2016 को पुलिस थाना बिरसा पर प्रधान आरक्षक भागचंद बोपचे को अपने कथन में यह जानकारी दी कि दिनांक-21.04.2016 को वह वाहन में बैठकर पिपरटोला जा रही थी। वाहन में लगभग 10 लोग बैठे थे। वाहन का चालक यशवन्तदास वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था और उसने वाहन को पलटा दिया था। वाहन का नंबर-सी.जी-09 / 0121 था, इस विषय में शासकीय अस्पताल बिरसा से लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक-61 / 2016, धारा-279, 337 भा.दं.

वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी यशवंतदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (7 काउन्टस) एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के अंतर्गत तथा आरोपी सुखलाल के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत रामबतीबाई, रामबाई, उषा, अनुसुईया, कुमारी सुमित्रा, सुनीता, पार्वती ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है। अतः आरोपी यशवंतदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337(7 काउन्टस) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी सुखलाल के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा-5/180 का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी यशवंतदास ने दिनांक-21.04.2016 को 2.00 बजे थाना बिरसा अन्तर्गत ग्राम पिपरटोला नहर बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-09-0121 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी यशवंतदास ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर ने बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाया ?
3. क्या आरोपी सुखलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रामबती (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपीगण एवं आहतगण रामबाई, पार्वती, अनुसुईया, सुनीता, उषा एवं सुखलाल को जानती है। वह अपनी बहन के घर विवाह में गई थी। वाहन यशवंतदास चला रहा था, साईकिल वाले के आने से वाहन पलट गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि वाहन क्रमांक-सी.जी-09-0121 को वाहन चालक उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन लेख कराए जाने से

भी इंकार किया है।

6— अभियोजन साक्षी रामबाई (अ.सा.2), उषा (अ.सा.3), सुमित्राबाई (अ.सा.4), अनुसुईया (अ.सा.5), सुनिता (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपीगण को जानते हैं। वाहन यशवंतदास चला रहा था। वाहन कैसे चल रहा था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें चोट नहीं आई थी और पुलिस को उन्होंने बयान नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अपना पुलिस कथन क्रमशः प्रदर्श पी-2, प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया।

7— प्रकरण में फरियादी/आहतगण ने यह कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी यशवंत वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से नहीं चला रहा था। साक्षी रामबतीबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि साईकिल वाले के आ जाने से दुर्घटना हुई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी यशवंत द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपी यशवंत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-

8— आरोपी यशवंतदास के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का अपराध किये जाने तथा आरोपी सुखलाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 का अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों का कहना है कि वाहन यशवंतदास चला रहा था। आरोपी यशवंतदास कौन सा वाहन चला रहा था अथवा उसका क्या क्रमांक था यह बात किसी भी साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट नहीं की है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना किस दिनांक को हुई थी और दुर्घटना दिनांक को आरोपी यशवंत के पास वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी, इस बाबत कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

9— आरोपी सुखलाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने वाहन क्रमांक-सी.जी-09-0121 से दुर्घटना होना प्रकट नहीं किया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता की उपरोक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा उसका वाहन किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने दिया गया था, जिसके पास वाहन चलाने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में आरोपी यशवंतदास द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का अपराध किया जाना तथा आरोपी सुखलाल द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 का अपराध किया जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। आरोपी यशवंतदास को संदेह का लाभ

दिया जाकर मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 एवं आरोपी सुखलाल को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारुति वरसा क्रमांक-सी.जी.09-0121 को सुपुर्ददार सुकलाल मरकाम पिता जयसिंह मरकाम, उम्र-45 साल, साकिन भोरमदेव चौराहा, हाउस नंबर-9, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम छ.ग. को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

बैहर,
दिनांक-04.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट